न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया

(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 348 / 2024

जुगल पुत्र श्री शकरू जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 17, स्वामियों की ढाणी गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

— वादी

बनाम

1. विमला पुत्री शकरू।
2. गोकुल पुत्र शकरू।
3. मूलचन्द पुत्र शकरू।
4. बजरंग पुत्र शकरू।
5. महावीर पुत्र शकरू।

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी वार्ड नं. 17, स्वामियों की ढाणी तन गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी।

6. अनिता पत्नी स्व. हीरालाल जाति कुम्हार (प्रजापत)
7. अनिल कुमार पुत्र निवास जाति कुम्हार (प्रजापत)
8. इन्द्रा देवी पुत्री निवास जाति कुम्हार (प्रजापत)
9. खुशबु कुमारी पुत्री हीरलाल जाति कुम्हार (प्रजापत)
10. गीता देवी पत्नी स्व. निवास जाति कुम्हार (प्रजापत)
11. प्रीति कुमारी पुत्री हीरलाल जाति कुम्हार (प्रजापत)
12. प्रिया कुमारी पुत्री हीरलाल जाति कुम्हार (प्रजापत)
13. रमेश कुँमार पुत्र निवास जाति कुम्हार (प्रजापत)
14. विजय कुमार पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार (प्रजापत)
15. विनोद देवी पुत्री निवास जाति कुम्हार (प्रजापत)
    समस्त निवासीगण स्वामियों की ढाणी तन गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
16. तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं राज्य राजस्थान।
17. उप पंजीयक कार्यालय गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

— प्रतिवादीगण

वकील वादी — श्री रविन्द्र सिंह शेखावत, कुलदीप सिंह व विक्रम सिंह।

वकील प्रतिवादी — श्री राजेश बागोरिया, निक्की पोलीवाल, उमेश शर्मा व कन्हैयालाल महमिया।

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं

सहायक कलक्टर

झुन्झुनूं

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 06/10/25

संक्षेप में वादी द्वारा पेश वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम गुढागौड़जी की सरहद में एक गीगा नामक व्यक्ति था जिसका सजारा एवं वटवृक्ष इस प्रकार से है:-

गीगा
- शकरू (फौत)
  - गोकुल
  - मुलचन्द
  - जुगल
  - बजरंग
  - महावीर
  - विमला
- परसादा (नाऔलाद फौत)

स्व. गीगा के दो पुत्र थे, जिसमें परदादा नाऔलाद फौत हो जाने के कारण उसी सम्पति स्व0 शकरू के वारिसान में बराबर बराबर हिस्से में आती है। इस तरह से स्व0 गीगा व शकरू की चल अचल सम्पति में वर्णित वंशावली के अनुसार वादी का 1/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। वादी अपने 1/6 हिस्से की घोषणा करवाने हेतु यह वाद बाबत् घोषणार्थ सेवामें पेश है। ग्राम गुढागौड़जी की सरहद में पुराना भूमि खसरा नम्बर 308, 309, 418/2422 से नये खसरा नम्बर 1524, 1525, 1526, 1528, 1529 से पुनः नये वर्तमान खसरा नम्बर 1020, 1021, 1022, 1024, 1025 रकबा क्रमशः 0.0200 है0, 0.0200 है0, 0.7300 है0, 0.0200 है0 व 0.9800 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.7700 है0 भूमि अवस्थित है, जो प्रथम बन्दोबस्त के समय वादी के स्व0 दादा गीगा पुत्र मोहन का 1/2 हिस्सा था तथा 1/2 भाग माला पुत्र माना का था जो प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 15 के पास है, इसी अनुसार संपूर्ण भूमि में से वादी के दादा गीगा 1/2 हिस्सा काश्त करता था, वादी के दादा गीगा के दो पुत्र थे, एक वादी का पिता शकरू तथा दुसरा परदादा था, वादी के दादा के देहान्त के बाद विरासतन नामान्तरकरण वादी के पिता शकरू व चाचा परसादा का नाम भरा गया था। वादी के पिता शकरू के देहान्त के बाद विरासतन नामान्तरकरण संख्या 69 भरा गया था जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को छोड़कर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम भरा गया था जो गलत भरा गया था, इसी प्रकार से वादी के चाचा परसादा के नाऔलाद फौत हो जाने के कारण विरासत नामान्तरकरण संख्या 70 भरा गया था जो भी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को छोड़कर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम भरा गया था जो गलत भरा गया था, क्योंकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 स्वर्गीय गीगा के पौत्र व पौत्री है। इस कारण पैतृक सम्पति का नामान्तरकरण में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से भी भरा जाना उचित था, परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने बन्दोबस्त विभाग से साजिश करके बाला बाला रूप से अपने नाम से नामान्तरकरण भरा कर राजस्व रिकॉर्ड कायम करवा लिया इसलिए वादी अपने 1/12 हिस्से की घोषणा करवाने हेतु यह वाद न्यायालय में

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 चतुर व चालाक आदमी है, जिन्होंने अपनी चतुराई का आभास वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं होने दिया तथा गलत रूप से रिकॉर्ड कायम करवा लिया। गलत रिकॉर्ड कायम रहने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारों पर क्लाउड आने का अन्देशा उठ खड़ा हो जायेगा। साथ ही वादी की रोजी रोटी का एक मात्र साधन काश्त भूमि है, अगर वादी को उसकी काश्त भूमि से महरूम किया जाता है तो वादी घर से बेघर हो जायेगा। इस कारण से राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती करवाने बाबत् यह वाद दुरूस्ती रिकॉर्ड पेश किया गया है। विवादित आराजी में वादी अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नहीं होने से वादी अपने हिस्से की भूमि में आवश्यक सुधार आदि करने के लिए ऋण की आवश्यकता है, वादी अपने कब्जे शुदा व काश्तशुदा भूमि में अपने हिस्से पर ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का के पास दिनांक 23.02.2022 को गया तो पटवारी हल्का ने वादी को नामान्तरकरण की नकल दी तो वादी को मालूमात चला कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नहीं है, तथा गलत नामान्तरकरण के जरिये उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम गलत रूप से दर्ज हो गई तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 से जाकर सम्पके किया तथा उन्हे वस्तुस्थिति बताते हुए राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 नाम दुरूस्त करवाने से इंकार हो गये तथा उसी दिन वादी को धमकी दी कि राजस्व रिकॉर्ड उनके नाम से हैं वे भूमि को जल्दी ही किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करके उसके हक से उसे वंचित करेंगे तथा लाठी के बल पर जबरन दखल करेंगे। अन्त में वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद वादी बखिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध डिक्री फरमाया जाकर वादी को ग्राम गुढागौड़जी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1020, 1021, 1022, 1024, 1025 रकबा क्रमशः 0.0200 है0, 0.0200 है0, 0.7300 है0, 0.0200 है0, 0.9800 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.7700 है0 में से 1/12 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 15 व 17 बाद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की ताभिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 15 व 17 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 4 ने जबाव दावा पेश कर कथन किया कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजी में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा के आधार पर प्रत्येक को

सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.) झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

1/6,1/6 हिस्से का काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की आरे से राजीनाम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम गुढागौड़जी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1020, 1021, 1022, 1024, 1025 रकबा क्रमशः 0.0200 है0, 0.0200 है0, 0.7300 है0, 0.0200 है0, 0.9800 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.7700 है0 भूमि में से राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादिया संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करें।

जबाबदेही व राजीनामा पेश होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस राजीनामा श्रवण की गई व बगौर बहस मनन किया गया। मुताबिक राजीनामा वादी जुगल व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 शकरू पुत्र गीगा के वारिसान है। वादी व प्रतिवादिया संख्या 1 के पिता शकरू के देहान्त होने के बाद विरासतन नामान्तरकरण संख्या 69 दर्ज किया गया था तथा वादी के चाचा परसादा के देहान्त के बाद विरासतन नामान्तरकरण संख्या 70 दर्ज किया गया था। उक्त दोनों ही नामान्तरकरण दर्ज के समय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भुलवश दर्ज नहीं हुआ था। लोक अदालत की पवित्र भावना के दृष्टिगत न्यायहित को ध्यान में रखते हुये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर तदनुसार वाद निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः लोक अदालत की पवित्र भावना के दृष्टिगत न्यायहित को ध्यान में रखते हुये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम गुढागौड़जी की सरहद में वर्तमान खसरा नम्बर 1020, 1021, 1022, 1024, 1025 रकबा क्रमशः 0.0200 है0, 0.0200 है0, 0.7300 है0, 0.0200 है0 व 0.9800 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1. 7700 है0 भूमि में से राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादिया संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/12, 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/10/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनूं, जिला झुंझुनूं

(पीठासीन अधिकारी :– सुप्रिया, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 348 / 2024 निर्णय दिनांक : 06/10/25

जुगल बनाम विमला वगै0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह व विक्रम सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से राजेश बागोरिया की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 06/10/25 को सुप्रिया सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू के समक्ष लोक अदालत की पवित्र भावना के दृष्टिगत न्यायहित को ध्यान में रखते हुये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार फरमाया जाकर अंतिम डिक्री की जाती है कि ग्राम गुढागौड़जी की सरहद में वर्तमान खसरा नम्बर 1020, 1021, 1022, 1024, 1025 रकबा क्रमशः 0.0200 है0, 0.0200 है0, 0.7300 है0, 0.0200 है0 व 0.9800 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.7700 है0 भूमि में से राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादिया संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/12, 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	6 2	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	8	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं